तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25.9.18	पक्षकार उपस्थित। प्रार्थी द्वारा दफा 5 मि0 अधि0 समय चाहते हैं समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब/बहस पत्रावली दिनांक 17/10/18 को पेश हो। SDO
17.10.19	पक्षकार पीठासीन अधि0/P.O. बाहर RO Meeting। बहस । दिनांक 28.11.18 को पेश हो।
28/11/18	वकील पक्षकार उपस्थित। दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रति0 दिया। वास्ते जवाब/बहस दिनांक 12/12/19 को पेश हो। SDOK
12/12/19	पक्षकार उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 28/11/19 की पालना में पत्रावली वास्ते बहस आदेश दिनांक 23/12/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
23.12.19	पक्षकार उपस्थित। बहस पक्षकार सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 13.2.20 को पेश हो। SDOK
13.2.20	पक्षकार उपस्थित। ग्राम पंचायत का निर्णय दि0 05.07.2018 विधि मुताबिक होने से निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। शा0 मि0 रहे। पत्रावली शामिल शुमार होकर नियम से कार्यवाही तकमील दाखिल रिकार्ड भण्डार हो। सुनाया SDOK

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12/08/2019

वउनवान

1. सुनीता पुत्री उदयराम पत्नी वृजभूशण जाति हैबासी ब्राहमण निवासी सामोली तहसील कठूमर हालवासी नयाबास तहसील नदबई जिला भरतपुर

——— अपीलाण्ट

बनाम

1. सत्यदेव पुत्र परसराम जाति हैबासी ब्राहमण निवासी सामोली तहसील कठूमर जिला अलवर
2. ग्राम पंचायत टीकरी पंचायत समिति कठूमर तहसील कठूमर

——— रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत टीकरी

दिनांक 05.07.2018 इन्तकाल संख्या 834

वाके ग्राम सामोली

उपस्थित :—

श्री राधाबल्लभ भार्मा : वकील अपीलाण्ट

श्री धनश्याम शर्मा : वकील रेस्पो0सं01

निर्णय दिनांक 13.02.2020

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हे कि आराजी खसरा नम्बर 228, 229, 230, 231, 234, 235, 266, 267, 268, 269, 397, 406, 408, 409 पूर्ण व खसरा नम्बर 454, 455, 459 का 3/4 हिस्सा व जमाबन्दी के खाता संख्या 118 किता 2 रकवा 1.49 हे. का 1/4 हिस्सा खाता संख्या 46 किता 9 रकवा 2.09 हे. का 1/4 हिस्सा ग्राम सामोली तहसील कठूमर लक्ष्मीनारायण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। लक्ष्मीनारायण सन् 2010 में अपने वारिस पोत्र मदनमोहन पुत्र जगदीश, पपीता, किन्ना पुत्रियान जगदीश, सुनीता पुत्री उदयराम दुर्गा पत्नी स्व0 उदयराम पुत्र परसराम, हरिओम, पुत्री वती, भांति औमवती, कमलेश, संता को छोडकर फौत हो चुके है। लक्ष्मीनारायण के फौत हो जाने के पहले

Scanned by CamScanner

ही उसके पुत्र जगदीश, उदयराम भी फौत हो चुके है। लक्ष्मीनारायण व उसके मृतक पुत्र जगदीश, उदयराम का विरासत इन्तकाल संख्या 834 मृतक लक्ष्मीनारायण की उक्त खातेदारी की आराजी वावत रेस्पो0 सं0 1 के नाम खिलाफ कानून रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 31.10.2017 के आधार पर रेस्पो0 सं0 2 ने दिनांक 05.07.2018 को तस्दीक फरमा दिया गया। अपीलाण्ट अपने पिता उदयराम के हिस्सा की आधी आराजी पर बैंक से ऋण लेने हेतु फाइल बनवाने पटवारी हल्का के पास दिनांक 19.05.2019 को गयी तव उसने बताया कि तुम्हारे पिता उदयराम के हिस्सा की आराजी वावत विरासत इन्तकाल संख्या 834 उदयराम की पत्नी दुर्गा तथा दत्तक पुत्र सत्यदेव व तुम्हारे नाम तस्दीक होने पर उदयराम की आराजी तुम्हारे तीनों के नाम वहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज है। दिनांक 20.05.2019 को उक्त दोशपूर्ण इन्तकाल की नकल लेने हेतु तहसीलदार साहव कठूमर के यहां प्रार्थना पत्र पे ा किया जिस पर अपीलाण्ट को दिनांक 24.05.2019 को उक्त इन्तकाल की नकल जारी की गई। दिनांक 25/26–05–2019 का सार्वजनिक अवकाश होने व दिनांक 27.05.2019 को वकील साहव से सम्पर्क कर अपील अदालत श्रीमान में पेश की गई। मृतक उदयराम के दौ ही वारिस उसकी पत्नी दुर्गा व पहले ब्हाता पत्नी रामदेई की पुत्री अपीलाण्ट सुनीता है। रेस्पो0 सं0 1 परसराम का पुत्र है उसको उदयराम ने कभी गोद नहीं लिया ना उसके हक में उदयराम ने गोदनामा दिनांक 31.10.2017 को तहरीर कर पंजीवद्व करवाया ना कभी रेस्पो0 सं0 1 उदयराम के पास बतौर दत्तक पुत्र रहा लेकिन रेस्पो0 सं0 2 ने खिलाफ कानून खिलाफ मौका मनमर्जी से रेस्पो0सं0 1 के हक में गोदनामा दिनांक 31.10.2017 के आधार पर मृतक लक्ष्मीनारायण, उदयराम का विरासत इन्तकाल संख्या 834 विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक किया है। रेस्पो0 सं0 1 उदयराम का दत्तक पुत्र नहीं है। दोशपूर्ण इन्तकाल ग्राम पंचायत की मिटिंग वुलाये विना बार्ड पंच की जांच रिपोर्ट के विना ग्राम पंचायत के सरपच द्वारा मनमाने तरीके से रेस्पो0 सं0 1 उदयराम का दत्तक पुत्र मानते हुये खिलाफ कानून तस्दीक किया है। उक्त इन्तकाल ग्राम पंचायत की मिटिंग में तस्दीक नहीं किया गया ना इसका कोई अंकन ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में किया है। अपील की देरी दिनांक 05.07.2018 से दिनांक 27.05.2019 को कण्डोन किये जाने के लिये अपीलाण्ट ने अपील के साथ अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः अपीलाण्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद सुमार कर इन्तकाल संख्या 834 दिनांक 05.072018 वाके ग्राम सामोली तहसील कठूमर निरस्त कर इन्तकाल से रेस्पो0 सं0 1 का नाम हटाये जाने का निवेदन किया है।

Scanned by CamScanner

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलव किया गया। रेस्पो0 सं0 2 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्व दिनांक 08.08.2019 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो0 सं0 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाव पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 के दत्तक पिता की मृत्यु सन् 2009 में हुई थी उसने अपनी मृत्यु से 4–5 साल पूर्व अप्रार्थी सं0 1 को गोद ले लिया था। जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को थी और अपीलाण्ट के सामने ही गोद की रस्म अदा की गयी तथा अपीलाण्ट की सहमति से ही गोदनामा की लिखा पढी दिनांक 31.10.2017 को तहसील कठूमर में कराई गई और गोदनामा सव रजिस्ट्रार कठूमर के कार्यालय में दिनांक 31.10.2017 को व्यक्ति रूप से हाजिर होकर सहमति से तस्दीक कराया गया। जिस समस्त कार्यवाही की अपीलाण्ट को जानकारी थी। यदि अपीलाण्ट को रजिस्टर्ड गोदनामा पर आपत्ति थी तो तव से अव तक अपीलाण्ट ने गोदनामा को निरस्त कराने के लिये सक्षम अदालत में चाराजोही क्यों नहीं की। इस वजह से दिनांक 05.07.2018 से दिनांक 27.05.2019 तक की देरी को कण्डोन किये जाने का कोई उचित कारण नहीं है। अपील देरी से पेश की गयी है तमाम तथ्य गलत होने से अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व अपील अपीलाण्ट मियाद वाहर होने से खारिज किये जावें।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में सत्यप्रतिलिपी इन्तकाल संख्या 834 वाके ग्राम सामोली व गोदनामा की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

उभय पक्षकारान की वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने अपील में वर्णित तथ्य व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि लक्ष्मीनारायण व उसके मृतक पुत्र जगदीश, उदयराम का विरासत इन्तकाल संख्या 834 मृतक लक्ष्मीनारायण की खातेदारी की आराजी वावत रेस्पो0 सं0 1 के नाम खिलाफ कानून रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 31.10.2017 के आधार पर रेस्पो0 सं0 2 ने दिनांक 05.07.2018 को ज़ो विधि सम्मत नहीं है। रेस्पो0 सं0 1 मृतक उदयराम का दत्तक पुत्र नहीं है ना अपने जीवनकाल में उदयराम ने रेस्पो0 सं0 1 को गोद लिया। उक्त इन्तकाल ग्राम पंचायत की मिटिंग में तस्दीक नहीं किया गया ना इसका कोई अंकन ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में किया है। गलत इन्तकाल की जानकारी सर्व प्रथम दिनांक 19.05.2019 को पटवारी से हुई। दिनांक 25/26 –05–2019 का सार्वजनिक अवकाश होने से अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गयी। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में कानूनी नजीर आर आर डी 1991 पेज 526 से 530 की छाया प्रति पेश की हे। विद्वान

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी वहस में कथन किया कि अपीलाण्ट को गोदनामा व इन्तकाल की जानकारी भ्रारू से ही है। अपीलाण्ट की सहमति से गोदनामा लिखा गया व इन्तकाल भी रेस्पो0 सं0 2 ने सभी वारिसान को सुनकर विधिनुसार स्वीकार किया है। अपीलाण्ट ने रजिस्टर्ड गोदनामा को सक्षम अदालत में चुनौती नहीं दी है देरी को कण्डोन किये जाने का कोई उचित कारण नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज कर अपीलाण्ट की अपील मियाद वाहर होने से खारिज की जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन किया। सर्व प्रथम हमें अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ पेश किये गये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड कानूनी नजीर का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा पेश कानूनी नजीरों का विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने कोई खण्डन नहीं किया है। कानूनी नजीर अखण्डित है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाया है। अतः हस्तगत प्रकरण में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

हमने वकुलाय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के तथ्य प्रस्तुत दस्तावेज का गहनता से परिशीलन किया। अपीलाण्ट का मुख्य कथन है कि ग्राम पंचायत ने अपीलाण्ट को विना सुने रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर विरासत इन्तकाल संख्या 834 वाके ग्राम सामोली विधि विरूद्व स्वीकार किया है। चूँकि गोदनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है। इससिलए सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि गोदनामा जो रेस्पो0 सं01 के हक में हुआ है वह वैलिड है या नहीं। यहां यह स्पश्ट कर देना उचित होगा कि नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिंडिग है जिसमें किसी भी व्यक्ति के राइट टाइटल का निर्णय नहीं किया जाता है। रेस्पो0 सं0 1 मृतक उदयराम का दत्तक पुत्र है या नहीं गोदनामा विधिक है या नहीं यह जांच का विशय है। जिसे नामान्तकरण के दौरान नहीं देखा जा सकता। अपीलाण्ट का कहना है कि रेस्पो0 सं0 1 मृतक उदयराम का दत्तक पुत्र नहीं है इसे तय कराने के लिये अपीलाण्ट गोदनामा को न्यायालय में चुनौती दे सकती है। अपीलाण्ट को अपना स्वत्व स्थापित करवाने के लिये गोदनामा को निरस्त कराने के लिये उचित संस्थान (सक्षम न्यायालय) में विधि के सम्यक् अनुक्रम में अपना वाद प्रस्तुत करना चाहिए। रेस्पो0 सं0 1 के हक में पंजीकृत गोदनामा प्रश्नगत प्रकरण में विधिक मान्यता रखता है। ग्राम पंचायत ने मृतक का विरासत इन्तकाल अपीलाण्ट, मृतक की पत्नी दुर्गा

Scanned by CamScanner

व दत्तक पुत्र रेस्पो0 सं0 1 के हक में वहिस्सा बराबर दर्ज किया है जो सही प्रतीत होता है। इसलिए अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के उपरांत हम यह पाते है कि ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 05.07.2018 विधि मुताविक होने से निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिलकुमार सिंघल) 13.2.2020
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 13.02.2020 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिलकुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
13.2.2020

Scanned by CamScanner